



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, समाहर्ता पूर्णियाँ</b>  <b>नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या-40/2004</b>  <b>U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973</b></p> <p>1. अर्जुन ठाकुर,  2. सुनील कुमार ठाकुर  3. ललन कुमार ठाकुर, } तीनों के पिता- स्व० उमाकांत ठाकुर  साकिन-हॉसदा रोड, गुलाबबाग, थाना-सदर, जिला-पूर्णियाँ  माता- स्व० जगदम्बा देवी</p> <p style="text-align: right;">.....आवेदकगण</p> <p style="text-align: center;"><b>बनाम</b></p> <p>1. दीपक कुमार साह, पिता-हरिशचन्द्र प्र० साह  साकिन-मरंगा कृष्णापुरी, थाना-के०हाट, जिला-पूर्णियाँ  2. अनारचंद यादव, पिता- दुखा यादव  साकिन-मरंगा कृष्णापुरी, थाना-के०हाट, जिला-पूर्णियाँ</p> <p style="text-align: right;">.....विपक्षीगण</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, पूर्णियाँ द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या-19/02-03 में पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा-मरंगा, थाना सं०-110, खाता संख्या-598 खेसरा संख्या-1838, 1839 एवं 1840 रकवा 2.01 एकड़ जमीन आर०एस० सर्वे में दुखा यादव के नाम दर्ज था। दिनांक-01.06.1967 को निबंधित केवाला सं०-11295 द्वारा दुखा यादव भूस्वामी ने आवेदकगण की माता स्व० जगदम्बा देवी एवं माया देवी, पति-दामादर झा के पास उपरोक्त जमीन आधा-आधा भाग बेच दिया। जगदम्बा देवी एवं माया देवी दोनों अपने नाम से जमीन का नामान्तरण करवाकर सरकार को मालगुजारी भुगतान करने लगी। पुनः दिनांक-06.05.1970 को माया देवी अपने हिस्से की जमीन निबंधित केवाला द्वारा आवेदक के पास बेच दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण जमीन का आवेदक दखलकार हो गयी। वर्ष 1971 ई० को सम्मत लाल एवं अन्य 6 व्यक्तियों ने उपरोक्त जमीन के विरुद्ध सब जज, पूर्णियाँ के न्यायालय में स्वत्व वाद सं०-20/1971 आवेदक एवं भुधारी दुखा यादव इस वाद में न्यायालय में उपस्थित होकर कहा कि उपरोक्त जमीन का रकवा खतियान में 60 डी० है, जबकि आर०एस० नक्सा के अनुसार जमीन का कुल रकवा 2.70 एकड़ है और मैंने सम्पूर्ण जमीन जगदम्बा देवी एवं माया देवी को बेच दिया है। न्यायालय सब जज, पूर्णियाँ द्वारा इस वाद में आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इस आदेश के उपरान्त विपक्षी सं०-2 (भुधारी दुखा यादव के पुत्र) ने 2.01 एकड़ जमीन गलत तरीके से विपक्षी सं०-1 के पास बेच दिया। आवेदक की माँ जमीन के रकवा में सुधार के लिए अंचल पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व को आवेदन दी। अंचल पदाधिकारी द्वारा रकवा सुधार कराने हेतु वाद सं०-371/1970-71 प्रारंभ कर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर सुधार हेतु वरीय पदाधिकारी के पास अभिलेख भेज दिया। तदुपरान्त वरीय पदाधिकारी द्वारा रकवा में सुधार कर रेन्ट निर्धारित किया गया। प्रश्नगत जमीन आवेदकगण के दखल में है। फिर भी भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा स्वत्व वाद सं०-20/1971 में पारित आदेश तथा रकवा में सुधार कर रेन्ट निर्धारित करने की बात</p>	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>को नजरअंदाज कर नियम के विपरीत आदेश पारित किया गया। अतः आवेदकगण इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करते हुए वाद की सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित करने की कृपा की जाय।</p> <p>विपक्षी का कथन है कि यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। प्रश्नगत जमीन का नक्शा के अनुसार कुल रकवा 2.74 एकड़ है और भुधारी दुखा यादव ने मात्र 60 डि० जमीन जगदम्बा देवी एवं माया देवी के पास बेचा था। शेष 2.14 डि० जमीन पर विपक्षी सं०-2 के पिता दखलकार थें। विपक्षी सं०-2 जमीन के रकवा में सुधार की उनके नाम से जमाबंदी दर्ज करने हेतु अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में वाद सं०-6/01-02 दायर किया। अंचल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के उपरांत विपक्षी सं०-2 के नाम जमाबंदी दर्ज हुआ। पुनः विपक्षी सं०-2 विपक्षी सं०-1 के पास 2.01 एकड़ जमीन निबंधित केवाला द्वारा बेच दिया और शेष 13 डि० जमीन। विपक्षी सं०-1 जमीन खरीदने के बाद अंचल पदाधिकारी को अपने जमीन के सीमा निर्धारण के लिए वाद सं०-10/02-03 दायर किया और इस वाद के बाद जमीन को सीमा का निर्धारण किया गया। विपक्षी सं०-1 प्रश्नगत जमीन पर एक फूस का घर भी बनाया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 14.05.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। आवेदक का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें नहीं सुना गया। पूर्व से 2.70 एकड़ जमीन का दखल कब्जा उनके नाम से था एवं इसकी लगान रसीद उनके नाम से काटा जा रहा था।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दुखा यादव के द्वारा मात्र 60 डिसमिल जमीन ही बेचा गया, परन्तु आवेदक राजस्व कर्मचारी के साथ मिलकर गलत ढंग से सम्पूर्ण जमीन का दखल-कब्जा अपने पक्ष में कर लिया। निम्न न्यायालय में उनके अपील आवेदन खारिज होने के बाद आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायालय में एक टाईटिल वाद दायर किया गया, जो दिनांक 21.11.2007 को खारिज हुआ। निम्न न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से उनका दखल-कब्जा होने का जिक्र है। आवेदक के कथन के अनुसार विपक्षी द्वारा अवैध कब्जा किया गया तो आवेदक को इस हेतु Tress Pass Act के तहत प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस आदेश के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	<p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>